भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2554
8 अगस्त, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

आन्ध्र प्रदेश में हथकरघा उद्योग के लिए निधि

2554. श्री टी जी वेंकटेशः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश राज्य में हथकरघा उद्योग को विकसित करने का निर्णय लिया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में हथकरघा उद्योग के विकास हेतु वित्तीय वर्ष में कितनी निधि आबंटित की जा रही है; और

(ग) क्या मंत्रालय को हथकरघा क्लस्टर के विकास, हथकरघा हेतु वित्तीय सहायता इत्यादि हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री अजय टम्टा)

(क) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय आंध्र प्रदेश सहित देशभर में हथकरघा के विकास और बुनकरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)
2. व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) - 08 मेगा हथकरघा क्लस्टर के लिए
3. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस)
4. यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)

उपरोक्त योजनाओं के तहत कच्चे माल, करघे व सहायक सामान की खरीद, डिजाइन नवोन्मेष, उत्पाद विविधीकरण, आधारभूत संरचना, कौशल उन्नयन, हथकरघा उत्पादों के विपणन, रियायती दरों पर ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

आंध्र प्रदेश राज्य में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं: –

1. पिछले चार सालों में 51 ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर स्वीकृत किए गए और 29.52 करोड़ रुपये जारी किए गए ।
2. पिछले चार सालों में 67 विपणन आयोजन स्वीकृत किए गए और 2.14 करोड़ रुपये जारी किए गए ।
3. चार हथकरघा उत्पादों जैसे उपाड़ा साड़ी, धर्मावरम पट्टू साड़ी, वेंकटगिरी साड़ी और मंगलागिरी साड़ी तथा फैब्रिक को भौगोलिक संकेतन अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया ।
4. बुनकर मुद्रा योजना के तहत 78.37 करोड़ रुपये की ऋण राशि के साथ 16594 ऋण स्वीकृत किए गए ।
5. पिछले चार सालों में स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 1,40,030 लाभार्थियों और महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) के तहत 2,08,133 लाभार्थियों का पंजीयन किया गया ।

6. पिछले चार सालों के दौरान यार्न आपूर्ति योजना के तहत मिल गेट कीमत पर 294.92 करोड़ रुपये के 49.18 लाख किग्रा. यार्न की आपूर्ति की गई और 10% यार्न सब्सिडी के तहत 36.54 करोड़ रुपये के 46.60 लाख किग्रा. यार्न की आपूर्ति की गई ।
7. राज्य में बुनकरों को यार्न की आपूर्ति करने हेतु 64 यार्न डिपो चल रहे हैं ।
8. प्रकासम और गुंटूर जिले में मेगा हथकरघा क्लस्टर की स्वीकृति दी गई और 25.92 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई ।
9. 7-17 अक्टूबर, 2017 और 19 -24 फरवरी, 2018 के दौरान आंध्र प्रदेश में 17 हस्तकला सहयोग शिविर विभिन्न हथकरघा क्लस्टरों में आयोजित किए गए हैं, ताकि हथकरघा बुनकरों के लिए मुद्रा ऋण, यार्न पासबुक, करघे और सहायक सामान प्राप्त करने, एनआईओएस और इग्नू पाठ्यक्रम के लिए पंजीयन कराने आदि को सुविधाजनक बनाया जा सके ।

(ख)और(ग) राज्य सरकार के माध्यम से पात्र हथकरघा एजेंसियों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर ही निधि जारी की जाती है । चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 (आज तक) के दौरान, 2 ब्लॉक स्तरीय क्लस्टरों और 04 साझा सुविधा केंद्रों (सीएफसी) को मंजूरी दी गई है ।

*****